



दी बाड़मेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बाड़मेर
प्रधान कार्यालय महावीर नगर बाड़मेर

BCCB BARMER

Phone - 02982-220461, 220345 (O.) Fax 02982-220461 E-mail: ccb.barmer@gmail.com

क्रमांक / बीसीसीबी / ले.वि. / 368

दिनांक : 17.04.2023

आम सूचना

इस बैंक के सभी सावधि/निरन्तर जमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि एक वित्तीय वर्ष में सामान्य जमाकर्ताओं के रू. 40000.00 एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु रू. 50000.00 अथवा अधिक ब्याज पर ब्याज पर टीडीएस कटौती किया जाना आवश्यक है। अतः इस बैंक के सभी सावधि/निरन्तर जमाकर्ता, जो इस श्रेणी में आते हैं एवं जिन खातेदारों की सावधि/निरन्तर जमाएँ देय तिथि या 31.03.2024 दोनों में से जो भी पहले है, से पूर्व संबंधित बैंक शाखा से सम्पर्क कर 15G/H फॉर्म व पैन कार्ड की प्रति जमा करवा दे अन्यथा अर्जित ब्याज पर टी.डी.एस की कटौती कर आयकर विभाग को भिजवा दी जावेगी।

साथ ही आयकर अधिनियम 1962 धारा 194 N के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में गत तीन वर्षों से आयकर रिटर्न भरने वाले ग्राहकों के लिए रू. 1.00 करोड़ तथा आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों के लिए 20.00 लाख से अधिक नकद आहरण करने पर टीडीएस कटौती किये जाने का प्रावधान है। अतः आपकी बैंक शाखा में गत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न व पैन कार्ड की प्रति अविलम्ब जमा करवा दे अन्यथा उपरोक्त आहरण सीमा से अधिक की राशि आहरित करने पर निम्नानुसार 2 प्रतिशत टीडीएस की कटौती कर आयकर विभाग में जमा करवा दी जावेगी।


(जितेन्द्र कुमार)
प्रबंध निदेशक